नेहा का पोस्टल असिस्टेंट के पद पर चयन : निवाई की नेहा जैन पुत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का केंद्र सरकार के पोस्ट ऑफिस में पोस्टल अस्सिटेंड (पी.ए) के पद पर चयन हुआ है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि नेहा का पोस्ट ऑफिस में पोस्टल अस्सिटेंड (पी.ए.) के पद पर चयन महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ है।

जिला कलेक्टर ने ली जिले की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक

अलवर । जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने आज मिनी सचिवालय स्थित कलक्ट्रेट सभागार में जिले की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था एवं जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा बैठक लेकर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

कलक्टर ने जल जीवन मिशन की समीक्षा कर निर्देश दिये कि जिले के जिन 451 गांवों में जल जीवन मिशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण हो गया है और उनके सभी घरों में जल कनेक्शन कर दिया गया है, उन सब गांवों के जल कनेक्शनों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक गांव के लिए कमेटी गठित की गई है, जिसमें जलदाय विभाग का सहायक अभियन्ता, ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच/प्रशासक इसके सदस्य रहेंगे। यह समिति जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्य की समीक्षा करेगी। इसमें कोई कमी पाए जाने पर उसे दुरूस्त करावेगी तथा उपभोक्ताओं से पेयजल आपूर्ति के संबंध में फीडबैक लेकर गांव के जल जीवन मिशन कार्य का सत्यापन 2 अक्टूबर तक करेगी। इस कार्य के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऑवर ऑल मॉनिटरिंग करेंगे। इसी प्रकार जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता भी इस कार्य की मॉनिटरिंग करेंगे। ब्लॉक लेवल पर विकास अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे।

जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता ने अपने प्रजेन्टेशन में अवगत कराया कि वर्ष 2021 से अगस्त माह 2024 तक जिले में 214 गांवों में जल जीवन मिशन का कार्य शत-प्रतिशत हुआ था। अगस्त माह 2024 से 15 अगस्त 2025 की एक वर्ष की अवधि के दौरान जल जीवन मिशन के तहत 234 नए गांवों में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया। उन्होंने बताया कि आगामी 6 माह में फिजिबल मिले सभी गांवों में योजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 451 गांवों में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। 263 गांवों में कार्य प्रगति पर है तथा 25 गांवों के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है। जिला कलक्टर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी ग्रीष्म ऋतु में जिले में पेयजल आपूर्ति सुचारू रहे, इसके लिए अभी से कार्य योजना तैयार कर उसे अमल में लाया जावे। उन्होंने अलवर शहर में स्टेट मद से स्वीकृत 94 ट्यूबवेल की वस्तुस्थिति की समीक्षा कर निर्देश दिये कि शेष रहे 20 ट्यूबवेल्स की ड्रिलिंग करावे तथा जिनकी ड्रिलिंग हो चुकी है उनको चालू करावे। उन्होंने निर्देश दिये कि इसी प्रकार जिले में स्वीकृत ट्यूबवेल्स, पेयजल योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करावे। उन्होंने अलवर शहर में सीएसआर मद से वाटर रिचार्ज के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये।

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने जिले की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था एवं जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा बैठक ली।

- कलक्टर ने निर्देश दिये कि जिले के जिन 451 गांवों में जल जीवन मिशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण हो गया है और उनके सभी घरों में जल कनेक्शन कर दिया गया है

सचिव ने किशोर गृह तथा राजकीय वृद्धाश्रम का मासिक निरीक्षण किया

भरतपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के मासिक एक्शन प्लान के अनुसरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भरतपुर के सचिव अनुतोष गुप्ता द्वारा राजकीय सम्प्रेषण गृह एवं राजकीय वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान राजकीय सम्प्रेषण गृह में गंदगी पाई गई, जिस पर सचिव द्वारा उपस्थित केयर टेकर को अविलम्ब गंदगी हटाने एवं साफ-सफाई की व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया।

साथ ही वहां पर उपस्थित परिजनों से मुलाकात की और उनसे मेल-मिलाप की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की।

पानी की मोटर के करंट से मौत युवक की मौत

टोंक। झिराना थाना क्षेत्र में मंगलवार को खेत पर कृषि कार्य करते समय किसान की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई, पुलिस ने पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि जवाली निवासी सीताराम यादव पुत्र कालूराम यादव उम्र 38 साल जो मंगलवार को सुबह कुएं पर फसल को पानी पिलाने के लिए गया था, जैसे ही वह पानी की मोटर चालू की तो स्टार्टर में करंट आने से उसका हाथ चिपक गया, यह देख खेत पर ही काम कर रही उसकी पत्नी जोर से चिल्लाई, जिसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी खेत में ग्रामीण घटना स्थल पर आये तथा लकड़ी के डंडे की मदद से सीताराम यादव का हाथ छुड़वाया, उसे अचेत अवस्था में अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया ग्रामीणो ने बताया कि सीताराम अपने पिता का इकलौटा बेटा था, सीताराम के 4 बच्चे है। जिससे अब उनके परवरिश की जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई है, ग्रामीणो ने सरकार से मृतक के आश्रित को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।

भगवान श्री देवनारायण सवाई भोज की 13 वीं पद यात्रा निकाली

कोटपूतली। भगवान श्री देवनारायण सवाई भोज की 13 वीं पद यात्रा अपार जोश व उत्साह के साथ झांकी ध्वज यात्रा के साथ कस्बे के मुख्य मार्गो से होती हुई सोमवार शाम ग्राम पूतली स्थित श्री देवनारायण मन्दिर पहुंची। जहां पद यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर रामकिशन, डॉ. लालचंद, एड. राजाराम कसाना द्वारा पदयात्रियों के लिये भोजन की व्यवस्था की गई। रात्रि को भजन सत्संग कार्यक्रम एवं सामाजिक सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। पद यात्रा मंगलवार सुबह श्री देवनारायण मन्दिर पूतली से धूमधाम से रवाना हुई। उल्लेखनीय है कि भगवान श्री देवनारायण सवाई भोज की पद यात्रा सोमवार को बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ कस्बे के मौहल्ला बड़ाबास स्थित हीरामल देव महाराज मंदिर से रवाना हुई थी, जो आगामी 29 अगस्त को आसींद स्थित मालासेरी के सवाई भोज देव मंदिर पहुंचेगी। पद यात्रा का कस्बे में जगह-जगह स्वागत किया गया। पद यात्रा में श्रद्धालू हरियाणा, अलवर समेत आसपास के ईलाकों से भगवान श्री देवनारायण की झण्डी लेकर पहुंचे हैं। पद यात्रा मंगलवार को आसींद के लिये रवाना हुई, जो देव मालीधाम, गढ़ गोठा धाम, बैंकुंड धाम, आसींद सवाई भोज धाम की यात्रा करते हुये मालासेरी डुंगरी धाम पहुंचेगी। जिसका जगह-जगह स्वागत किया जायेगा। इस दौरान श्री देवनारायण जन कल्याण संस्थान के प्रदेषाध्यक्ष शंकर लाल कसाना, श्री देवनारायण सेवा समिति के जिला अध्यक्ष दयाराम कसाना, तहसील अध्यक्ष विक्रम रावत, उप प्रधान प्रतिनिधि एड. राजेन्द्र रहीसा, एड. चेतराम रावत, एड. महेष रहीसा, हंसराज रावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजवीर यादव, मंदिर अध्यक्ष पन्नाराम कसाना, देव कसाना, जिला पार्षद मंजू रावत, एड. बजरंग लाल शर्मा, एड.अशोक सुरेलिया, मुकेश कसाना, कमल पटेल, मदन हवलदार, दाताराम डेयरी, गिरिराज कसाना, बाबूलाल कसाना, रामपाल कसाना, राजपाल कसाना, सुरेन्द्र कसाना, पूरण, धर्मपाल डीलर, नत्थू, सुमेर, जीतू कसाना समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालू मौजूद रहें।

- श्री देवनारायण मन्दिर पूतली में हुआ भव्य स्वागत
- भजन सत्संग एवं सामाजिक सम्मेलन का हुआ आयोजन
- इस मौके पर रामकिशन, डॉ. लालचंद, एड. राजाराम कसाना द्वारा पदयात्रियों के लिये भोजन की व्यवस्था की गई।

ध्वज यात्रा का स्वागत किया

श्रीमाधोपुर । पदयात्रा 14 अगस्त को रवाना हुई थी। मोनू भिवाड़ी के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकाली गई इस यात्रा का उद्देश्य श्री श्याम प्रभु के आशीर्वाद से देश में शांति और सनातन धर्म में जागृति लाना है।यात्रा में सैकड़ों महिलाएं भी शामिल हैं। चौबारा, जोनायचा खुर्द और बनी जोनायचा के ग्रामीणों ने भी इसमें भाग लिया है। बाबा का श्रृंगार दिल्ली से मंगाया ।खाटूश्यामजी जा रही पदयात्रा सोमवार शाम को श्रीमाधोपुर पहुंची। इतिहास की सबसे बड़ी निशान यात्रा है यह खाटू धाम इस यात्रा में 538 श्रद्धालु शामिल हैं। यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता 2121 फीट लंबा ध्वज है, जो गुजरात के सूरत से मंगवाया गया है।राजेश शर्मा और मोनू भिवाड़ी के नेतृत्व में 14 अगस्त को शुरू हुई यह यात्रा 19 अगस्त को खाटूश्यामजी पहुंचेगी। आस्था, श्रद्धा व विश्वास का यह अनूठा संगम। 2121 फीट लंबी खाटूधाम की पदयात्रा, 700 से ज्यादा लोग शामिल इस ध्वज यात्रा में।इस अनूठी निशान पदयात्रा के पल को हर यूजर्स अपने मोबाइल में कैद कर रहा श्याम बाबा के अलग-अलग फोटो श्लोक निशान आदि ध्वज पर छपे हुए हैं ।

विश्वविद्यालय में नवागन्तुक छात्रों का किया स्वागत

निवाई। डॉ. केएन मोदी विश्वविद्यालय ने नए सत्र 2025-26 में नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों का समारोह पूर्वक स्वागत किया गया। समारोह का शुभारंभ प्रो-प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉ. सुनील कुमार व कुलसचिव डॉ. धीरज पांडे ने मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। विश्वविद्यालय के पीआरओ ठा. तनुज सैंगर ने बाताया कि नवांगुतक विद्यार्थियो का शिक्षकों व सीनियर छात्रों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। प्रोफेसर डॉ. सुनील कुमार ने विद्यार्थियों को लर्निंग, स्किल एवं कैरियर को सफल बनाने की महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने छात्रों को जीवन मे सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया। फार्मेसी विभाग से प्रधानाचार्य डॉ. अनिल अहूजा ने फार्मेसी मे कैरियर, फार्मेसी काउंसिल सहित दवाओं के बारे में प्राथमिक जानकारी दी। एजुकेशन विभाग से विभागाध्यक्ष डॉ. मीनू गंगल ने परोपकार क्लब, एनएसएस व योग के बारे मे जानकारी दी। विधि विभाग से विभागाध्यक्ष डॉ. संतोष शर्मा ने भारतीय कानून एवं संविधान के बारे मे बताया। कम्प्यूटर साइंस विभाग से अमित वर्मा ने सोशल मीडिया के लाभ-हानि सहित आर्टिफशियल इंटेलिजेंस की जानकारी दी। खेल विभाग से इंद्रजीत शर्मा ने खेलो के जरिए रोजगार व विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए मेडल्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डॉ. सुजयकुमार, एफएसएस विभागाध्यक्ष प्रेमलता देवी, अनुप्रयुक्त विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. विध्या नायर, अभियांत्रिकी विभाग से राकेश महावर, आशीष जैन, मैनेजमेंट विभागाध्यक्ष डॉ. कीर्ती देशवाल, सीएफओ अशीष गर्ग, मंच संचालन अस्मिता भारद्वाज, भरत शर्मा सहित सैंकड़ों शिक्षकों व विद्यार्थियो ने भाग लिया।

बकरियां चराने गए व्यक्ति का शव मिला

टोंक। निवाई उपखंड के दत्तवास थाना क्षेत्र के गाँव भगवतपूरा में मंगलवार को कन्हैयालाल पुत्र रामविलास जाति मीणा का शव भगवतपूरा प्याऊ के पास क्लोजर में बबूल के नीचे पडा मिला, जिससे क्षैत्र में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक कन्हैयालाल घर से मंगलवार को सुबह बकरीया चराने के लिए निकला था, उसके बाद उसका शव बबूल में पडा मिला। घटना की सूचना पर दत्तवास थानाधिकारी कालूराम मीणा घटना स्थल पर पहुँच कर शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाई में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। जहां पुलिस ने प्रकरण में मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया।

- शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया

सांभर ब्राह्मण समाज कार्यकारिणी का होगा विधिवत चुनाव

सांभरझील, (निसं)। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जयश्री लामोरिया ने सांभर ब्राह्मण समाज संस्था के अध्यक्ष कमल किशोर शुक्ला पुत्र गोपाल दत्त शुक्ला व सचिव जितेंद्र पारीक पुत्र फूलचंद पारीक निवासी सांभरलेक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत चाहने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को पाबंद किया कि वह स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति से प्रार्थी/संस्था के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी को संस्था के संविधान के अनुसार चुनाव व कार्य करने में कोई व्यवधान उत्पन्न न करें साथ ही प्रार्थना पत्र का व्यय मूल वाद के निर्णय पर निर्भर करेगा यह भी न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट किया है।

अप्रार्थी हरिदास शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री जगमोहन प्रसाद निवासी सांभरलेक बताते हैं कि हम न्यायालय आदेश का गहराई से अवलोकन कर रहे हैं। इसके बाद हम सक्षम न्यायालय में इस आदेश को अपास्त कराने के लिए अपना कानूनी पक्ष रखेंगे।

हमें उम्मीद है कि हमें न्याय प्राप्त होगा। मामले में समाज अध्यक्ष कमल किशोर बताते हैं कि यदि न्यायालय के आदेश की पालना कराने में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए हम विधिवत राय लेकर न्यायालय के अवमानना की कार्रवाई करेंगे। प्रार्थी के अधिवक्ता गिरीशचंद्र नागु ने बताया कि यहां ब्राह्मण समाज संस्था के अध्यक्ष कमल किशोर शुक्ला व सचिव जितेंद्र पारीक की ओर से न्यायालय में हरिदास शर्मा व अन्य के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था तथा न्यायालय के समक्ष सभी तथ्य प्रस्तुत किए गए है, जिसके आधार पर न्यायालय ने हमें राहत दी है।

डंपिंग यार्ड मामले को लेकर गौ सेवकों व स्थानीय लोगों का धरना समाप्त

पावटा। पावटा प्रागपुरा नगरपालिका क्षेत्र में कस्बा पावटा गोपाल भैया मंदिर के पीछे नदी बहाव क्षेत्र में स्थित नगरपालिका का अस्थाई डम्पिंग यार्ड जरूरी व्यवस्थाओं के अभाव में एक तरफ गोवंश के लिए जानलेवा स्थान बना हुआ है। वही बेशुमार प्लास्टिक, मृत पशुओं के शव, खाद्य पदार्थों का अपशिष्ट ही दिखता है। दुर्गंध इतनी तीक्ष्ण कि, सांस लेना भी मुश्किल होता है। जिससे क्षेत्र में बसने वाली आबादी के लिए सांस व गंभीर बीमारियों का संकट छाया हुआ है। जिसको लेकर गोपाल भैया मंदिर महंत मोहनदास रामायणी महाराज के सान्निध्य में गौ सेवको व ग्रामीणों ने छः दिन तक अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन कर अस्थाई डंपिंग यार्ड का रास्ता रोक दिया और कचरा लेकर जाने वाले ट्रैक्टरों व टिप्परो को अन्दर नहीं जाने दिया। इसके बाद पावटा तहसीलदार लोकेंद्र मीणा व पालिका ईओ फतेह सिंह मीणा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और धरनार्थियों से वार्ता की। तहसीलदार लोकेंद्र मीणा ने कहा कि ठेकेदार की गलती से समस्या हुई है। पालिका के अधिकारियों की मॉनिटरिंग ठीक नहीं है। अब जो कचरा आएगा वह डंपिंग यार्ड में अंदर बताई हुई जगह पर ही डाला जाएगा। मंदिर के आस आस पड़े कचरे के पहाड़ जैसे ढेरों को जेसीबी लगाकर लगातार उठाया जा रहा है। यह प्रक्रिया लगातार चलेगी। पूरा कचरा उठाने में समय लगेगा। वही एक कर्मचारी को यहां लगाया जायेगा ज्योंकि कचरे की गाड़ियों को निश्चित जगह पर डलवाएगा।

वही तहसीलदार लोकेश मीणा ने धरनार्थियों से कचरे के सुनियोजित व सुव्यवस्थित ढंग से निस्तारण के लिए 17 सितंबर तक का समय मांगा। हमारी मांग है कि इस यार्ड को अन्यत्र कही शिफ्ट किया जाए व उसकी चारदीवारी और प्रवेश द्वार बनवाया जाए। साथ ही इस क्षेत्र में नंदी गौ शाला का निर्माण किया जाए व खुले घूमते गोवंश को गोशालाओं तक पहुंचाया जाए। जिस पर पावटा तहसीलदार लोकेश मीणा व नगरपालिका अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा द्वारा एक महीने के आश्वाशन के बाद धरनार्थियों द्वारा धरना स्थगित करने के बाद पालिका द्वारा डंपिंग यार्ड में कचरा डलना शुरू हुआ। गौरतलब है कि पावटा प्रागपुरा नगरपालिका की मनमानी का खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतान पड़ रहा है। पालिका द्वारा डंपिंग यार्ड में गंदगी एवं कचरा डालने पर रोक लगाने से लोगों का जीवन नारकीय बन गया है। क्षेत्र के प्रमुख बाजारों समेत गली, मोहल्ले एवं चौराहों पर गंदगी के बेशुमार ढेर के ढेर लगे हुए हैं। आवारा जानवर एवं सूअर कचरे के ढेरों के पास जमा हो रहे हैं।

निरीक्षण करते प्रशासन अधिकारी।

- तहसीलदार व ईओ ने समस्या हल करने का दिया आश्वासन

खोया पाया

मेरे प्लाट नंबर ए-16, मंगल मूर्ति विहार, भापुरा रोड, सांगानेर का मूल पट्टा, रसीद, साइडप्लान गुम गये है, जिसे बाबा आर.एन. गौड गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर ने जारी किया था। जिस किसी को मिले कृपया संपर्क करें-रजाक पुत्र उमराव, निवासी मु.पो. मावशिया, नसीराबाद (अजमेर)-9602429261

शाप नं. बी-1/96 ट्रांसपोर्ट नगर सीकर रोड का ओरिजनल अलॉटमेंट लेटर कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें। लखन लाल गुप्ता-9314521434

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम सुनीता भडिंया से बदलकर सुनीता पत्नी राजेश पायल रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें निवासी श्यामपुरा, मैनाना, झुंझुंनू, बुहाना, राजस्थान

मेरे पुत्र राज रजक के विद्यालय रिकॉर्ड में सहवन से उसकी जन्मतिथि 28.03.2014 गलत दर्ज हो गई है। जबकि उसकी सही जन्मतिथि 28.03.2013 है। भविष्य में राज रजक पुत्र रामबीर रजक के जन्म प्रमाण पत्र संख्या 133/119 व अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी जन्मतिथि 28.03.2013 ही मानी जावें।

मेरी पुत्री के विद्यालय रिकॉर्ड में सहवन से उसका नाम जायना मंसूरी गलत दर्ज हो गया है। जबकि उसका सही नाम जायना युसूफ मंसूरी है। भविष्य में उसे जायना युसूफ मंसूरी पुत्री मोहम्मद युसूफ मंसुरी के नाम से जाना जावें। निवासी-761 सार्दुलसिंह की नाल, चीनी की बुर्ज, गणगौरी बाजार, जयपुर

मैंने अपना नाम राजेश झालानी से बदलकर राजेश कुमार झालानी पुत्र श्री इन्द्रानन्द झालानी निवासी डी-257 शिव मंदिर के पास विद्याधर नगर, जयपुर राजस्थान रख लिया है भविष्य में मुझे राजेश कुमार झालानी के नाम से जाना पहचाना जावें।

मैं आर्मी नं. JC-706424Y सुबेदार विमलेश कुमार, पुत्र राम सेवक और भानुमती, निवासी प्लाट नं. 8, बजरंग विहार कानपुर नगर (उत्तरप्रदेश) मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरी माँ का नाम गलती से भानमती दर्ज है, जबकि सही नाम भानुमती है, हलफनामा CB054759 नोटरी पब्लिक, जिला न्यायालय जयपुर, राजस्थान।

JC-697714M सुबेदार मेजर राघवेन्द्र प्रसाद पुत्र सुरेश सिंह निवासी छपरा मेघ, मुशहरी जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। मेरे सर्विस रिकार्ड में माता-पिता का नाम गलती से गीता देवी (Geeta Devi) व सुरेश शर्मा दर्ज है। सही नाम गीता देवी (Gita Devi) और सुरेश सिंह है। हलफनामा CB054758 नोटरी पब्लिक न्यायालय जयपुर।

मैने मरा नाम मनोज अटल से बदलकर मनोज कुमार अटल रख लिया है। भविष्य में मुझे मनोज कुमार अटल पुत्र ओम प्रकाश रेगर के नाम से जाना जाये पता 79, कृष्णा विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर मो. 8769755609

I have changed my name from Jayanti Rajput to Jayanti Kanwar Rajput for all legal and future purposes. Address: T-10/803 Manglam Aananda, Hajyawala, Sanganer Bazar, Jaipur-302029

I, Manish Kumar Arora, hereby declare that I have changed my name from Manish Kumar Arora to Manish Arora for all legal and future purposes. Address: Shop No. 16, Balaji Vihar, Near Nandgaon Apartment, Saipura, Sanganer, Jaipur 302029

I Shivani D/o vinod kumar singh solanki R/o of plot no. 41/42 hanuman nagar Ext-1, Near Joshi paradise, Niwaru Lalchand Pura Road, Jhotwara, Jaipur-302012 have changed my name from shivani to Shivani Kumari for all official purpose.

I ic/army no 4557281F Ex Havaldar Bhanwar Singh S/o Girwar Singh resident of 63 Kardhani enclave vistar Gokul pura Jaipur that I want to change my spouse name from SAROJ KAUR To SAROJ KANWAR vide affidavit dated 18 August 2025 before district notary public Jaipur.

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 13356/2025
विषय : उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी- नाम **प्रहलाद कर्नाल** पुत्र **श्री कन्हैयालाल, रूद्राक्ष चौहान** पुत्र **प्रहलाद कर्नाल** नाबालिग जरिये संरक्षक प्रहलाद कर्नाल निवासीयान-242-B तिरुपति बालाजी नगर एयरपोर्ट के सामने, सांगानेर, जयपुर मृतक **बिंदिया पंवार** की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक 27.08.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम बिंदिया पंवार पत्नी प्रहलाद कर्नाल निवासी 242-बी तरुपति बालाजी नगर एयरपोर्ट के सामने, सांगानेर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 27 माह 08 सन् 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 19 माह 08 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

मुहर
आज्ञा न्यायालय से
वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम

नाम परिवर्तन

मैं पुनीता कुमारी गुर्जर पुत्री श्री पूरनसिंह गुर्जर जाति गुर्जर निवासी तेसगांव तहसील नादौती जिला करौली राज. आधान नं. 25871 6807359 है। मैं शपथ पूर्वक बयान करती हू कि मेरे द्वारा NIOS BOARD द्वारा 12 कक्षा जिसका रोल नं0 170490243048 है। आवेदन के समय गलती से मेरा नाम PUNITA DEVI दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरा सही व सभी दस्तावेजों में मेरा नाम PUNEETA KUMARI GURJAR है। मेरे NIOS के शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम PUNITA DEVI के स्थान पर PUNEETA KUMARI GURJAR दर्ज किया जावे ।

Name Correction

I, Bhanu Pratap son of Shri Rajendra resident of Jatav Basti, Hindaun City District - Karauli, declare on oath that in my secondary class mark sheet my name has been mistakenly recorded as Bhanu Pratap Yadav and father's name as Rajendra Yadav which is wrong whereas in all other documents Bhanu Pratap son of Rajendra is recorded which is correct. In future I should be known by this name only.

नाम परिवर्तन

मैं धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र भोलाराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी छापर तहसील मासलपुर जिला करौली (राज.) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि शृषभ शर्मा मेरा पुत्र है। मेरे पुत्र का स्कूल में प्रवेश कराते समय गलती से मेरी पत्नि का नाम बंदना शर्मा के स्थान पर बंदना एवं मेरा नाम धर्मेन्द्र कुमार शर्मा के स्थान पर धर्मेन्द्र दर्ज हो गया। जो गलत है। जबकि मेरी पत्नि का सही नाम बंदना शर्मा और मेरा नाम धर्मेन्द्र कुमार शर्मा ही है। जो मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। मेरे पुत्र शृषभ शर्मा के स्कूल रिकॉर्ड में मेरी पत्नि का बंदना शर्मा और मेरा धर्मेन्द्र कुमार शर्मा नाम दर्ज किया जावें।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-13, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26 / 100098 **लोक सूचना** दिनांक: 14/08/2025

श्री SHAMBHU DAYAL MEENA पुत्र श्री BADRINARAYAN MEENA जाति MEENA निवासी WARD NO. 3, DASUL KI DHANI, NATATA BUS STAND, NATATA, JAIPUR-302028 ने इस कार्यालय में नीचे डीस्क्रीबड भूमि का एमएल इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अधिभूमि अधिकारी के निर्धारण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	स्वीकृत क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1	चितावुकलां,	1.) शम्भूदयालमीणा पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा पूर्ण	2171	0.75	0.75
2	आमेर (जयपुर)		2188	0.05	0.05
3			2189	0.2	0.2
4	जाति मीणा सा.ग्राम नटाटा तहसील जमवारामगढ़ खातेदार		2195	0.18	0.18
5			2196	0.06	0.06
6			2197	0.15	0.15
7	इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को		2189/2368	0.02	0.02
8	सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को		2190	0.28	0.28
9	राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा		2194	0.27	0.27
10	90-क और राजस्थान अभिभूमि अधिनियम, 1955		2187	0.04	0.04
11	की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए		2186	0.02	0.02
12	भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और		2198	0.05	0.05
13	अभिभूमि अधिकारी के निर्धारण पर कोई आक्षेप है		2169/2405	0.0186	0.0186
14	तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर		2169	1.55	1.55
15	-पीठासीन एडिशनल कलेक्टर जयपुर के समक्ष		2173	1.11	1.11
16	-पीठासीन एडिशनल कलेक्टर जयपुर के समक्ष		2172/1	0.5	0.5
17	-पीठासीन एडिशनल कलेक्टर जयपुर के समक्ष		2184	0.05	0.05
18	90-A For Jaipur Development Authority		2183	0.16	0.16
	(JDA) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को			कुल	5.4586

अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज करा सकते हैं। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 14.08.2025 को जारी की गयी

प्राधिकृत अधिकारी जोन-13, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रमांक-1 ,हिण्डौन सिटी

प्रकरण सं.- 22/2025
नोटिस हर खास व आम
द्रोपती आदि बनाम हरखास आम
याचिका अन्तर्गत धारा 372 उत्तराधिकार अधिनियम बावत जारी फरमाये जाने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि द्रोपती बैरवा बेवा मुनिराज बैरवा, निवासी राजौर, तहसील बालघाट, जिला करौली आदि ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पति मुनिराज पुत्र सन्नू बैरवा के सर्विस रिकॉर्ड में उसकी पेंशन, ग्रेच्यूटी, कर्मचारी बीमा व बैंक अकाउन्ट से मृतक मुनिराज की मिलने वाली राशि के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पेश किया है। लिहाजा जिस किसी भी व्यक्ति को उक्त प्रार्थना पत्र के स्वीकार करने में आपत्ति हो तो वह अपनी उपस्थिति इस न्यायालय में दि. 03.10.2025 को समय 10:30 ए.एम. बजे असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, वरना गुजरने म्याद उक्त दिनांक के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी एवं प्रार्थना-पत्र एकतरफा में सुनकर फैसला कर दिया जावेगा।
मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 14.08.2025 को जारी किया गया।

मुहर
आज्ञा से-अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रमांक-1 हिण्डौन सिटी

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय जिला न्यायाधीश महोदय, स्थान चूरू
धर्मेन्द्र सिंह विरूद्ध सर्वसाधारण आदि
-प्रार्थी- -अप्रार्थीगण-
वाद/प्रार्थना पत्र- बाबत प्राप्त करने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
प्रार्थना पत्र संख्या- 16/2025
नाम सर्वसाधारण

उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि उसके पक्ष में स्वर्गीय प्रेम सिंह पुत्र मोहनसिंह निवासी ग्राम श्यामपुरा, तहसील व जिला चूरू (राजस्थ